	प्रा-पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.डी. के आदेश हेतु नियत दिनांक 27-6-24 को पेश हो।
27-6-24	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थग./बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 11.7.24 को पेश हो।
11-7-24	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षो की प्रा०पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.डी० पर पुनः मजिद बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली प्रा०पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.डी० के आदेश हेतु नियत दिनांक 23-7-24 को पेश हो।
23-7-24	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उप० समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 26-7-24 को पेश हो।

क्रम सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 व धारा 10, 151 जा०दी० के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। बहस में वकील प्रार्थी (विपक्षीगण) ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण जिस आराजी में से रास्ते का अनुतोष चाहा है उक्त आराजी हेतु पूर्व में लक्ष्मण ने वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र पेश कर रखा है जो न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है। उक्त आराजी बाबत स्थगन पारित होने से यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र O.7 R.11 व धारा 10 व 151 जा० दी० स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र 251-A R.T.A. खारीज फरमाया जावे। प्रार्थीगण (विपक्षीगण) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब पेश नहीं सीधे ही बहस की। बहस में वकील अप्रार्थीगण (प्रार्थीगण) ने निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र 251-A RTA में किया है इस पर यह प्रार्थना पत्र O.7 R.11 व धारा 10 व 151 जा० दी० का लागू नहीं होता है। इसके लिए विधिक दृष्टान्त DNJ 2022(4) Raj. अनवान हरीश चन्द्र बनाम मकसूद अहमद व अन्य प्रस्तुत किया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना पत्र O.7 R.11 के तथ्यों एवं प्रार्थनापत्र 251-A RTA में अंकित तथ्यों व विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त DNJ 2022(4) Raj. हरीशचन्द्र बनाम मकसूद अहमद व अन्य में अंकित तथ्य इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि 136 L.R. act का प्रार्थनापत्र एक संक्षिप्त प्रकृति का है। इसके द्वारा भूप्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किए गए परिवर्तन को साबिक रिकॉर्ड अनुसार दुरुस्त करने से सम्बन्धित है परन्तु 251-A RTA का प्रार्थना पत्र के माध्यम से एक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	खातेदार दूसरे खातेदार की भूमि में से पहुंच हेतु रास्ते का अधिकार प्राप्त करता है तथा रास्ता विधिक हस्तान्तरणीय नहीं होते है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की खातेदारी की आ०नं० 865 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता चाहते है जबकि विपक्षीगण [illegible] पिता लालसिंह रेगर ने प्रार्थी कैलाश उर्फ कैलाशसिंह पिता [illegible] रेगर के खिलाफ वाद एवं एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का पेश किया है। प्रार्थनापत्र के नम्बर 88/2022 है जिसमें दिनांक 12/5/2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जिसके अनुसार विपक्षीगण कैलाश उर्फ कैलाश सिंह वगैरह को प्रार्थी लक्ष्मण सिंह की आ०नं० 865 रकबा 1.0497 हैक्टेयर में किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं करे न ही जबरन कब्जा करें व मौके की यथास्थिति आगामी पेशी 20/5/22 तक बनाए रखने की जारी है। वर्तमान में भी यह वाद व प्रार्थना पत्र विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी है। प्रार्थीगण ने (बहस में न तो) कोई जवाब ही दिया है न कोई दस्तावेज पेश किया है ऐसी स्थिति में 251-A R.T.A का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण (विपक्षीगण) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० स्वीकार करते हुए विपक्षीगण (प्रार्थीगण) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 251-A R.T.A खारिज किया जाता है। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा